05/4/24. पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20/2/23 में वाद के एकमात्र वादी की फौती (मृत्यु की) सूचना अंकित है।

आदेश 22 नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार एकमात्र वादी यदि फौत हो जाता है तो इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय द्वारा मृत वादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार संयोजित कर रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है। एवं जहाँ विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कायम-मुकाम आवेदन पेश नहीं किए जाते, उस स्थिति में वाद का उपशमन (Abate) हो जाता।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर न्यायालय पाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:34:44 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

जयपुर शहर प्रथम

आशुसिंह वगैरह बनाम बाबूलाल

संख्या /वर्ष : दावा 23/2015 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	कि उक्त वाद में एकमात्र वादी की मृत्यु हुयी है एवं फौती की सूचना के लगभग 01 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कायम-मुकाम कार्यवाही नहीं हुयी। एवं कायम-मुकाम आवेदन पेश करने की विधि द्वारा तय समय सीमा भी निकल चुकी है। अतः आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानानुसार अबेन्टमेन्ट के आधार पर दावा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक ... को खुले न्यायालय में ... सुनाया ... पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।	

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:34:44 IST
Reason: SelfAttested